

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प ...राशमी...

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारीश. बाक.....
व भू.अ.नि.कप..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदारराशमी...../नायब
तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्रामबाक..... तहसील.....राशमी.....व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत्2077..... में खाता संख्या 382, 8, 199 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>बाक</u>	<u>382 8 199</u>	<u>भैरु पुग माधु</u> - -	<u>भैरु लाल पुग माधु लाल</u> - -

श. बाक
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राशमी

क्रमांक:- 363/22
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 10/11/21

1. तहसीलदारराशमी..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री भैरु लाल पुग माधु लाल को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

श. बाक
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
राशमी

